न्यायालय अति. जिला कलक्टर कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मन्दिर मूर्ति श्री बिहारी जी महाराज वाके ग्राम गोरवपुरा (लूणवा) जरिये पुजारी श्री ओमेदत्त शर्मा पुत्र शिवदत्त शर्मा उम्र वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी गोरवपुरा (लूणवा) तहसील नांवा जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)		1. तहसीलदार नांवा तहसील नांवा जिला डीडवाना–कुचामन (राज.) 2. नायब तहसीलदार उप–तहसील लूणवा जिला डीडवाना–कुचामन

राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

अपील प्रार्थना–पत्र नम्बर – **15 /2025** **GCMS No. 2025/49**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए।
18.12.2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। राज पेरोकार उपस्थित। प्रकरण में दोनो पक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि प्रार्थी मन्दिर मूर्ति श्री बिहारी जी महाराज की भूमि (नए खसरा संख्या 564, 565, 567, 568, 569, 575 आदि) और ग्राम पंचायत की आबादी भूमि (खसरा संख्या 527 व 566) आपस में सटी हुई हैं। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की आड़ में मन्दिर की भूमि पर हुए अतिक्रमणों को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध आदेश पारित हो चुके हैं, जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्वारा भी की जा चुकी है। प्रार्थी की मुख्य आपत्ति यह है कि तहसीलदार नांवा द्वारा दिनांक 14–11–2025 को जो आदेश पारित किया गया, उसमें केवल आबादी खसरों के सीमाज्ञान की बात कही गई है, जबकि मौके पर मन्दिर की भूमि और आबादी भूमि की सीमाएं मिली हुई हैं। बिना मन्दिर की भूमि का निर्धारण किए, केवल आबादी भूमि का सीमाज्ञान करने से मन्दिर के हितों पर कुठाराघात होगा। साथ ही, प्रार्थी ने पुराने खसरा संख्या 105/1 में स्थित कुएँ को मुस्तकिल बिन्दु मानकर ही पैमाइश करने का आग्रह किया है। राज पेरोकार नावां ने तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आबादी भूमि का सीमाज्ञान आवश्यक है और यह एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। हमारी टीम द्वारा केवल आबादी भूमि का मापचौक कर सीमाज्ञान करवाया जायेगा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह निर्विवाद है कि मन्दिर एक "सार्वजनिक धार्मिक संस्था" है और देवता को [illegible] एक अवयस्क माना जाता है, जिसकी सम्पत्ति की सुरक्षा [illegible]लय और प्रशासन का दायित्व हैं। प्रार्थी द्वारा [illegible] की भूमि और आबादी भूमि के [illegible] सीमा विवाद वि[illegible] है। यदि केवल आबादी खसरा संख्या 527 व 566 का सीमाज्ञान किया जाता है और पास स्थित मन्दिर के खसरों की उपेक्षा की जाती है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मन्दिर की भूमि का कुछ भाग आबादी भूमि में सम्मिलित हो सकता है, जिससे मन्दिर को 'अपूरणीय क्षति' होगी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्याय का तकाजा यह है कि जब दो भूमियां आपस में सटी हों और एक पक्ष (मन्दिर) को अपनी भूमि के क्षेत्रफल कम होने या अतिक्रमण की आशंका हो, तो राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी और नक्शा) के आधार पर पहले उस पक्ष की भूमि को सुरक्षित किया जाना चाहिए। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि मन्दिर की पवित्रता और राजस्व रिकॉर्ड की सत्यता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पहले मन्दिर की भूमि को पूरा किया जावे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, न्यायहित में प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार नांवा के आदेश दिनांक 14–11–2025 को संशोधित करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:

(क) तहसीलदार नांवा को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व पारित आदेश दिनांक 14–11–2025 की क्रियान्विति को इस शर्त के साथ संशोधित करें कि उक्त सीमाज्ञान कार्यवाही के दौरान प्रार्थी मन्दिर के प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का पूरा अवसर दिया जावे।

(ख) मौके पर सीमाज्ञान/पैमाइश करते समय राजस्व टीम सर्वप्रथम मन्दिर मूर्ति श्री बिहारी जी महाराज के स्वामित्व वाले नवीन खसरा संख्या 564, 565, 567, 568, 569, 575 एवं 1247/575 का सीमाज्ञान करेगी।

(ग) पैमाइश के लिए पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पुरानी/नई मिमो सीट और प्रार्थी द्वारा उल्लेखित "पुराने खसरा संख्या 105/1 में स्थित कुएँ" या अन्य किसी मान्य सरकारी मुस्तकिल बिन्दु को आधार बनाया जावे।

(घ) राजस्व टीम यह सुनिश्चित करे कि मन्दिर के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज सम्पूर्ण रकबा (क्षेत्रफल) मौके पर पूरा किया जावे। मन्दिर की भूमि की चारों दिशाओं में निशानदेही करने के पश्चात ही शेष बची हुई भूमि को आबादी खसरा संख्या 527 व 566 के रूप में सीमाज्ञान किया जावे।

(ङ) यदि मन्दिर की भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसमें नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लावें।

यह स्थगन प्रार्थना पत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

(राकेश कुमार गुप्ता)
पीठासीन अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 13:05:22 IST
Reason: SelfAttested